नौरंगलाल बनाम कमला वगै0
मु0नं0 139/2017
प्रार्थना पत्र अ0धा0 212

दिनांक –06.03.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है जिस पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर हिस्सा है। इसलिये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नहीं होता है। सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में नहीं जाता है। विवादित भूमि अविभाजित है। इस प्रकार किसी खातेदार को उसके अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.09.2017 वैकेट की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो एवं मूल दावें के संलग्न रहें।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner